EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)
Appearing on Page Nos. 1395—1396
Dated 29-10-2011

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 298.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (आर्थिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, आर्थिक अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (आर्थिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में "प्रतिनियुक्ति या आमेलन" शीर्षक के अधीन "प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा" से संबंधित स्तंभ 12 में,–

(अ) प्रविष्टि (क) में, मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ii) मूल काडर या विभाग में 4200 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-2 में 9300—34800 रुपए या समतुल्य वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; और";

(आ) प्रविष्टि (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों, अर्थात् :–

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या कारबार अर्थशास्त्र या इकनोमेट्रिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री रखता हो;

या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें कम से कम एक पेपर अर्थशास्त्र का हो;";

(इ) प्रविष्टि (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(ग) सांख्यिकी डाटा के क्षेत्र में अनुसंधान, अन्वेषण, संग्रहण, संकलन, निर्वचन और विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव ।" ।

[सं. ए-12018/1/2007-ई-I]

राजेश कुमार, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, सं. सा.का.नि. 54, तारीख 20 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2011

G.S.R. 298.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Industrial Policy and Promotion (Economic Officer) Recruitment Rules, 2011, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion, Economic Officer Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Industrial Policy and Promotion (Economic Officer) Recruitment Rules, 2011, in column (12) relating to "In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made", under the heading "Deputation or Absorption",—

(A) in the entry (a), item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

"(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 in the scale of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and";

(B) for the entry (b), the following entry shall be substituted, namely:—

"(b) Possessing the following educational qualifications, namely:—

(i) Post Graduate degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a recognized university;

or

(ii) Post Graduate Degree in Mathematics or Statistics or Commerce with at least one paper in Economics from a recognized university;";

(C) for the entry (c), the following entry shall be substituted, namely:—

(c) Two years' experience in the field of research, investigation, collection, compilation, interpretation and analysis of statistical data.".

[No. A-12018/1/2007-E. I]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

Foot Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India No. G.S.R. 54, dated the 20th January, 2011.

MGIPRRND—4398 Com. & Ind./11—100 Copies.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 125—130

Dated 29-1-2011

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 54.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (आर्थिक अन्वेष्क श्रेणी-1) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आर्थिक अधिकारी (भर्ती) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और ऐसे विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आर्थिक अधिकारी	7* (सात) (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
40% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा 60% प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए और ग्रेड वेतन 4200 रुपए में ऐसे आर्थिक अन्वेषक श्रेणी-II, जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006/वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति या आमेलन :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो-- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में 4200 रुपए के ग्रेड वेतन के अराजपत्रित पद या समतुल्य पद पर पांच वर्ष सेवा कर चुके हों । (ख) अर्थशास्त्र, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, व्यवसाय अर्थशास्त्र या इकनोमेट्रिक्स में स्नातक स्तर डिग्री रखता हो या गणित सांख्यिकी या वाणिज्य में स्नातक स्तर जिसमें कम से कम एक पेपर अर्थशास्त्र का हो, और (ग) अनुसंधान, अन्वेषण, संग्रहण, संकलन और निर्वचन तथा सांख्यिकी डाटा के विश्लेषण के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे । इस प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।) (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि

(12)	
	है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, 1-1-2006/ वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, इसके जहां सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पद (पदों) को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)		(14)
प्रोन्नति या पुष्टि के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :		जब कोई अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए है तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
1. संयुक्त सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	—अध्यक्ष	
2. उप सचिव/निदेशक (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	—सदस्य	
3. उप सचिव/निदेशक (डाटा यूनिट), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	—सदस्य	

[सं. ए-12018/1/2007-स्था. 1]

ललित कुमार शर्मा, अवर सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2011

G.S.R. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Industrial Policy and Promotion (Economic Investigator Grade-I) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the recruitment to the posts of Economic Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion (Economic Officer) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Economic Officer	7* (Seven) 2011 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) Grade Pay Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)	(12)
40% by promotion failing which by deputation/absorption. 60% by deputation/absorption.	**Promotion :** Economic Investigator Grade-II in the Pay Band-2 in the scale of Rs. 9300—34800 and Grade Pay of Rs. 4200 with five years regular service in the Grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior(s) would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying

(12)

or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation or Absorption :

Officers under the Central Government :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade having the Grade Pay of Rs. 4200 in Non-Gazetted post or equivalent in the parent cadre or department;

(b) possessing post-graduate degree in Economics, Applied Economics, Business Economics or Econometrics or post Graduate in Mathematics, Statistics or Commerce having at least one paper in Economics; and

(c) At least two years' experience in the field of research, investigation and collection, compilation and interpretation and analysis of Statistical data.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note : For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion or confirmation : 1. Joint Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion —Chairman 2. Deputy Secretary/Director (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion —Member 3. Deputy Secretary/Director (Data Unit), Department of Industrial Policy and Promotion —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary when an officer is in the field of consideration for appointment on absorption basis.

[No. A-12018/1/2007-E. 1]

L. K. SHARMA, Under Secy.

MGIPRRND—864 C&I/10—100 Copies.